No.2-3/2018/Tel. Bills/BSNL-EPABX

भा.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान

डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006

दिनांक: 27 सितम्बर 2023

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि दूरभाष केंद्र, व॰अ॰स॰ दवारा संबन्धित प्रभागों/अनुभागों को उनके प्रभाग/अनुभाग की सरकारी मेल आई डी दवारा अथवा भौतिक रूप से उनके कार्यालय के BSNL के मासिक बिल सत्यापन के लिए भेजे जाते हैं जो कि कुछ कार्यालयों दवारा तय समय सीमा में सत्यापन के पश्चात दूरभाष केंद्र, व॰अ॰स॰ को वापस नहीं भेजे जाते हैं। दूरभाष केंद्र दवारा बिल भेजने के उपरांत प्रत्येक कार्यदिवस में लगातार कई बार दूरभाष दवारा भी संबन्धित कार्यालयों को बिलों को यथाशीघ्र सत्यापित कर वापस भेजने को कहा जाता है, चूंकि भुगतान की आखिरी तिथि से पूर्व दो-तीन दिन का समय भुगतान से संबन्धित कारवाई के लिए लेखानुभाग, व॰अ॰स॰ तथा भुगतान उपरांत बिलों की प्रविष्टि के लिए BSNL को भी देना पड़ता है। परंतु कुछ कार्यालयों दवारा बार-बार दूरभाष पर अनुरोध के बावजूद भी कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है और लगातार व्यस्तता का हवाला दिया जाता है। **यहाँ यह भी अवगत कराना आवश्यक है कि भुगतान की आख़िरी तिथि बीत जाने के पश्चात देरी से भुगतान पर बीएसएनएल द्वारा पेनल्टी का प्रावधान है।**

अतः सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे कार्यालय एव आवासों के सभी BSNL दूरभाषों के मासिक बिल सत्यापन कर प्राप्ति की तिथि से दो दिन के भीतर दूरभाष केंद्र, व॰अ॰स॰ को मूल रूप में भुगतान हेतु वापस लौटाने की कृपा करें। अन्यथा भविष्य में यदि प्रभागों/अनुभागों के BSNL के बिल सत्यापन के उपरांत दूरभाष केंद्र, व॰अ॰स॰ को दो दिन के भीतर भुगतान हेतु वापस प्राप्त नहीं होते हैं तो उस दशा में भुगतान देरी से होने पर पेनल्टी की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी संबन्धित प्रभाग/अनुभाग की होगी। प्रभाग/अनुभाग प्रमुख के अवकाश पर या सरकारी दौरे में होने की स्थिति में बिलों का सत्यापन संबन्धित प्रभारी अधिकारी अथवा अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक से सत्यापित कराकर दूरभाष बिलों को नियत समय से पूर्व भुगतान हेतु दूरभाष केंद्र, व॰अ॰स को भेजकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ताकि संस्थान के सभी दूरभाष बिलों का भुगतान बीएसएनएल देहरादून को निर्धारित तिथि से पूर्व व ससमय किया जा सके।

एस के थॉमस 26/9/23

(एस.के.थॉमस, भा॰वा॰से॰)

कुलसचिव

भा.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान।

(1) सभी दूरभाषधारक, प्रभाग/अनुभाग प्रमुख, व॰अ॰स॰।

(2) प्रभारी अधिकारी, आई॰टी॰ एवं जी॰आई॰एस॰शाखा, व॰अ॰स॰ को इस अनुरोध के साथ कि आप इस परिपत्र को संस्थान की "वैबसाईट" प्रदर्शित करने की कृपा करें।